

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्दाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कैलाश बनाम रतन

दावा बाबत :- 53, 88 188, राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 140/2022  
पेश करने की दिनांक - 27.09.2022

यह मुकदमा आज वारते इनफिनाल कतई रूबरु देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुदई राज० पैरोकार अभिभाषक भिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम रामपुरा हनुवर्तिया के हाल खसरा नम्बर 1442/1, 1443/1, 1444/1 व 1447/1 रकबा कमशः 0.1214, 0.7785, 0.40 व 0.1857 का खातेदार वादी कैलाश पुत्र उगमा को हाल खसरा नम्बर 1442/2, 1443/2, 1444/2 व 1447/2 रकबा कमशः 0.0486, 0.3115, 0.16 व 0.0743 का खातेदार रतन पुत्र उगमा 1/2 हि., शंकर पुत्र उगमा 1/2 हि. को घोषित किया जाता हैं। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार ही रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद  
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २३ माह ८ सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मुत्तफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मुत्तफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद  
नसीराबाद (अजमेर)